न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :– 113/23 तारीख दायर 16/5/23

रामपाल पुत्र लालु जाति दरोगा उम्र वयस्क निवासी जलिन्द्री तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0

............प्रार्थी

बनाम्

1. कल्याण पुत्र नारायण जाति माली उम्र वयस्क निवासी रामपुरिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0
2. राजेन्द्र पुत्र रामदयाल जाति दरोगा उम्र वयस्क निवासी रामपुरिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0
3. गिरधारी पुत्र सूरजमल जाति माली उम्र वयस्क निवासी रामपुरिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0

..........विपक्षीगण

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां (भीलवाड़ा)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

–: आदेश :–

दिनांक 24/5/23

प्रार्थना पत्र रामपाल ने जरिये अभिभाषक श्री **ओमप्रकाश जी शर्मा एडवोकेट** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि **मौजा ग्राम रामपुरिया पटवार हल्का जलीन्द्री मे खाता संख्या 166 पर अंकित आराजी संख्या 3/2 रकबा 1.2950 हे0 भूमि** स्थित है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात की खातेदारी काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू–अभिलेख निरीक्षक **बिजौलिया**

कलां को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। पत्थरगढी कमिश्नर फीस 500 /– रूपये तय किये जाते हैं। प्रार्थी वक्त पत्थरगढी फीस अदा करेगा।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर **मौजा ग्राम रामपुरिया पटवार हल्का जलीन्द्री मे खाता संख्या 166 पर अंकित आराजी संख्या 3/2 रकबा 1.2950 हे0 भूमि** की बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100 /– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां (भीलवाड़ा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या – 113/23

तारीख दायर 16/5/23

प्रेषिति :–तहसीलदार बिजौलियाँ

विषय :– प्रकरण संख्या 113/ पत्थरगढ़ी बाबत्।

रामपाल पुत्र लालु जाति दरोगा उम्र वयस्क निवासी जलिन्द्री तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0

............प्रार्थी

बनाम्

1. **कल्याण पुत्र नारायण जाति माली उम्र वयस्क निवासी रामपुरिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0**
2. **राजेन्द्र पुत्र रामदयाल जाति दरोगा उम्र वयस्क निवासी रामपुरिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0**
3. **गिरधारी पुत्र सूरजमल जाति ~~माली~~ उम्र वयस्क निवासी रामपुरिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0**

..........विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण मे आदेश होकर लेख है **मौजा ग्राम रामपुरिया पटवार हल्का जलीन्द्री मे खाता संख्या 166 पर अंकित आराजी संख्या 3/2 रकबा 1.2950 हे0 भूमि** की बशमलात पडौसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक **बिजौलिया कलां** को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस 500/–रूपये वक्त पत्थरगढी प्रार्थी अदा करेगा। पत्थरगडी करने से पहले विपक्षीगणों एवं पडौसियान को सूचित करते हुये पत्थरगडी करें।

पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा